न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 91 /2023

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. गुरपिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. अर्शदीप सिंह पुत्र श्री सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– **वादीगण**

बनाम्

1. रणजीत कौर पत्नी श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुखराज सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. नेमपाल सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. चरणजीत कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. समनदीप कौर पुत्री श्री सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 22/3/2023

वादीगण गुरपिन्द्र सिंह व अन्य ने प्रतिवादीगण सुखपाल सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादीगण की दादी, प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 3 वादी का चाचा, प्रतिवादीया सं. 4 वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादीया सं. 5 वादीगण की बहिन है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण की दादी प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के

22/3

लगातार --2

चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 99/84 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.759 है. कृषि भूमि तथा वादीगण के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 48/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 5.428 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 4 व 5 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 54/57 में प्राप्त कर ली है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 व 5 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैः-

(क) **वादी सं. 1 गुरपिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 48/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.657 है. कृषि भूमि

(ख) **वादी सं. 2 अर्शदीप सिंह पुत्र श्री सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 99/84 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.759 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 48/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.506 है. कृषि भूमि

21/3/23

नायब कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

लगातार --3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण की दादी प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 99/84 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.759 है. कृषि भूमि तथा वादीगण के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 48/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 5.428 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादीगण की दादी प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 99/84 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 48/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 5.428 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 3.657 है. कृषि भूमि का, वादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 1.265 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/3/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/3/25

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 91 /2023

गुरपिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

अर्शदीप सिंह पुत्र श्री सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम्

1. रणजीत कौर पत्नी श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुखराज सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. नेमपाल सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. चरणजीत कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. समनदीप कौर पुत्री श्री सुखराज सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 22/3/2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव**(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादीगण की दादी प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 99/84 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से तहसील

लगातार --2

संगरिया के चक 9 पी.टी.पी. के खाता सं. 48/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 5.428 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 3.657 है. कृषि भूमि का, वादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 1.265 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जाता है।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X......निल ......X...... बाबत् ......X...... निल......X......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X.........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22.3.2023 को जारी किया जाता है।

22/03/2023

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official